न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पारूल कुमारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (उ.प्र. 3546)

UPHP120000732012
पंजीकरण संख्या–166/2012

मूलवाद संख्या–166/2012

आलोक कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा आदि

तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांकः–30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि पत्रावली काफी समय से साक्ष्य हेतु नियत है। वादी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है, न ही प्रतिवादीगण उपस्थित आ रहे हैं, न ही उभय पक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। वादी को उपस्थित हेतु दिनांक 14.07.2026 को अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। आज भी न्यायालय में बार–बार पुकार करायी गयी, परन्तु उभय पक्षकार उपस्थित नहीं आये। अतः ऐसी अवस्था में वादी का वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण **आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी.** में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद, उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण **आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी.** में निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज(जू०डि०)
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.08.07 13:17:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court